

प्रेषक,

अनिल कुमार बाजपेयी,
विशेष सचिव,
उपरोक्त शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,
उपरोक्त लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी
उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

G-37
II-18615

लखनऊ : दिनांक : 31 मई, 2018

विषय: शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में इंटरलाकिंग, जल निकासी, नाली निर्माण एवं अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना के कार्यों को पूर्ण करने हेतु "मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजना" के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-37 में प्राविधानित धनराशि से जनपद-गौतमबुद्ध नगर की 22 परियोजनाओं हेतु द्वितीय/अंतिम किश्त की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2949/76/एक/एवीएमबीवीवाई/2013-14, दिनांक 31 अक्टूबर, 2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत जनपद-गौतमबुद्ध नगर की नगर पालिका परिषद, दादरी की विभिन्न अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में इंटरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य से सम्बन्धित 22 परियोजनाओं के कार्यों को पूर्ण करने हेतु शासनादेश संख्या-244/2017/1694/69-1-17-96(अ0सं0-37)/2016, दिनांक 31 मार्च, 2018 द्वारा द्वितीय/अंतिम किश्त के रूप में ₹ 407.55 लाख की वित्तीय स्वीकृति जारी की गई थी किन्तु वित्तीय वर्ष 2017-18 में उक्त धनराशि का आहरण कोषागार से नहीं हो सका था। अतएव उक्त शासनादेश दिनांक 31 मार्च, 2018 को निरस्त करते हुए जनपद-गौतमबुद्ध नगर की नगर पालिका परिषद, दादरी की उक्त 22 परियोजनाओं हेतु "मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजना" के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत प्राविधानित बजट की धनराशि से संलग्न तालिका के स्तम्भ-6 में अंकित द्वितीय/अंतिम किश्त की धनराशि ₹ 407.55 लाख (रूपये चार करोड़ सात लाख पचपन हजार मात्र) की, निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. उक्त धनराशि प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देश विषयक शासनादेश संख्या-32/69-1-13-14(31)2012टीसी, दिनांक 16 जनवरी, 2013 में दिये गये दिशा-निर्देश/व्यवरूपण का पूर्णरूपेण अनुपालन करते हुए की जायेगी।
2. प्रश्नगत परियोजनाओं में प्रस्तावित कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

मौलिक
पं 6/14

3. उक्त धनराशि शासन द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार उपर्युक्तानुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य की विशिष्टियाँ, मानक व गुणवत्ता आदि को सुनिश्चित करते हुए कार्य क्रमशः इस प्रकार प्रकार कराये जायेंगे कि वे उपलब्ध धनराशि से ही निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जाये तथा उनका लाभ सम्बन्धित स्थानीय निवासियों को मिल सके।
4. उक्त धनराशि यथा समय सम्बन्धित इडा (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। सम्बन्धित इडा (निर्माण इकाई) द्वारा प्रश्नगत परियोजना को जिला स्तरीय शासी निकाय से अनुमोदित कराने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
5. उक्त धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी प्रकार का व्यावर्तन अनुमन्य नहीं होगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
6. योजनान्तर्गत कराये जाने वाले समस्त कार्यों का विवरण, उनकी लागत, कार्य पूर्ण होने की अवधि, कार्यदायी संस्था व उससे संबंधित अभियन्ता एवं परियोजना अधिकारी का नाम व फोन नम्बर कार्य स्थल पर नोटिस बोर्ड लगाकर सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। उक्त सभी विवरण एवं योजना का आगणन इडा की वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से अपलोड किया जायेगा।
7. स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक/डाकघर/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।
8. उक्त प्रायोजना की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व कार्यदायी संस्था/सम्बन्धित इडा का होगा।
9. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
10. उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व सूडा द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत परियोजनाओं के आगणनों का गठन वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 04.04.2008 के अनुरूप है तथा उसमें कार्य विशेष की लागत सीमा को कम करने के उद्देश्य से अथवा प्रायोजना के स्कोप को कम करके अथवा प्राविधानों को कम करके लागत आंकित नहीं की गई है।
11. उक्त धनराशि यथासमय सम्बन्धित इडा इकाई (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त परियोजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है, जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में स्वीकृत धनराशि तत्काल राजकोष में जमा कराकर शासन को सूचित किया जायेगा।
12. प्रश्नगत परियोजना से सम्बन्धित कार्यों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, यह सूडा/इडा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
13. उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 30प्र0, लखनऊ द्वारा प्रमुख सचिव, विशेष सचिव अथवा संयुक्त सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, 30प्र0 शासन के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा।

14. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाऊचर संख्या, तिथि तथा लेखाशीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
 15. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अवश्य करा लिया जाये और इसके बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि, यदि कोई हो, तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।
 16. सेन्टेज चार्जज (अधिष्ठान व्यय) की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75, दिनांक 25.01.2011 में जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों के क्रम में सुसंगत लेखा शीर्ष में जमा किया जायेगा।
 17. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जितनी 31 मार्च, 2019 तक व्यय हो सके।
2. उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-37 में योजनान्तर्गत प्रस्तावित बजट में उपलब्ध धनराशि से लेखाशीर्षक “2217-शहरी विकास-04-गन्दी बस्तियों का विकास-051-निर्माण-04-मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजना-35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान” के नामे डाला जायेगा।
3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय जाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30.03.2018 तथा समय-समय पर जारी आदेशों के तहत किये जा रहे हैं।

संलग्नक: यथोक्त।

(अनिल कुमार बाजपेयी)

विशेष सचिव।

संख्या-३५३ /2018/१८६२ (१)/६९-१-२०१८, तद्विनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकर (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, ३०प्र०, २० सरोजनी नायदू मार्ग, इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, ३०प्र०, छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
3. प्रमुख सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, ३०प्र० शासन।
4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, गौतमबुद्ध नगर।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-८, ३०प्र० शासन।
7. नियोजन अनुभाग-४, ३०प्र० शासन।
8. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, ३०प्र०, लखनऊ।
9. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
10. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

आज्ञा से,

अनु सचिव।

शासनादेश संख्या- ३५३ /२०१८/१०२ /६९-१-२०१८-९६(अ०सं०-३७)/२०१६ दिनांक ३१ मई, २०१८ का
संलग्नक।

(धनराशि लाख रु० में)

क्र० सं०	जनपद का नाम	निकाय/ नगर पंचायत का नाम।	बस्ती/वार्ड का नाम/कार्य का विवरण।	परियोजना की कुल लागत।	द्वितीय/अंतिम किश्त के रूप में स्वीकृत योग्य धनराशि।
1	2	3	4	5	6
1	गौतमबुद्ध नगर	न०पा०परि० दादरी	मो० नई आबादी (पार्ट-१) में मटीना मस्जिद वाली गली, फारूख वाली गली, सरवर के मकान से हसीना के मकान तक एवं बदलता के मकान से चिवाने (शमशान) तक इण्टरलाकिंग टाईल्स एवं नाली निर्माण कार्य।	39.83	19.915
2	तदैव	तदैव	मौ० नई आबादी (पार्ट-२) में सावीर वाली गली, खचेहू वाली गली एवं चौक से मेन रोड तक इण्टरलाकिंग टाईल्स एवं नाली निर्माण कार्य।	39.10	19.55
3	तदैव	तदैव	मौ० नई आबादी (पार्ट-३) में बुन्दू तेली वाली गली, शेरू वाली गली, अल्हाह बक्श वाली गली एवं इलियास वाली गली में इण्टरलाकिंग टाईल्स निर्माण कार्य।	32.53	16.265
4	तदैव	तदैव	मौ० नई आबादी (पार्ट-४) में बाबू के मकान से नसीम के मकान तक इण्टरलाकिंग टाईल्स एवं नाली निर्माण कार्य।	35.87	17.935
5	तदैव	तदैव	मौ० नई आबादी (पार्ट-५) में मैन कटैहरा रोड से सफीम के मकान तक एवं रियासूदीन के मकान से कलवा के मकान तक इण्टरलाकिंग टाईल्स एवं नाली निर्माण कार्य।	39.14	19.57
6	तदैव	तदैव	मौ० नई आबादी (पार्ट-६) में सुरेश वाली गली, कुरैशी वाली गली, मौबीन वाली गली एवं शौकीन वाली गली में इण्टरलाकिंग टाईल्स एवं नाली निर्माण कार्य।	37.96	18.98
7	तदैव	तदैव	मौ० नई आबादी (पार्ट-७) में हाकिम के मकान से आस मौ० के मकान तक, नसरू वाली गली, सबस्तीन के मकान से कुरैशी के मकान तक एवं अनवर वाली गली में इण्टरलाकिंग टाईल्स एवं नाली निर्माण कार्य।	39.81	19.905
8	तदैव	तदैव	मौ० नई आबादी (पार्ट-८) में युनूस वाली गली, शौकत के मकान से दीलपुवार के मकान तक, फारूख के मकान से भीनू के मकान तक एवं मुन्नी के मकान से जैकब के मकान तक इण्टरलाकिंग टाईल्स एवं नाली निर्माण कार्य।	39.52	19.76
9	तदैव	तदैव	मौ० नई आबादी (पार्ट-९) में इसलाम के मकान से मटीना के मकान तक, अस्फाक के मकान से कल्लन के मकान तक, हसरू के मकान से मस्तदीन के मकान तक एवं रहीस के मकान से सोवत के मकान तक इण्टरलाकिंग टाईल्स एवं नाली निर्माण कार्य।	39.84	19.92
10	तदैव	तदैव	मौ० नई आबादी (पार्ट-१०) में मटीना मेम्बर के	20.16	10.08

			मकान से कब्रिस्तान तक इंटरलाकिंग टाईल्स एवं नाली निर्माण कार्य।		
11	तदैव	तदैव	मो० नई आबादी (पार्ट-11) में मटीना मेम्बर से सरकारी स्कूल तक इंटरलाकिंग टाईल्स एवं नाली निर्माण कार्य।	39.65	19.825
12	तदैव	तदैव	मो० नई आबादी (पार्ट-12) में मुस्लिम स्कूल से विलाल मस्जिद तक, जुल्फकार के मकान से सिराजूद्दीन के मकान तक एवं अजू के मकान से नवा के मकान तक इंटरलाकिंग टाईल्स एवं नाली निर्माण कार्य।	39.60	19.80
13	तदैव	तदैव	मो० नई आबादी (पार्ट-13) में नवाबुद्दीन के मकान से यामीन के मकान तक एवं रियासूद्दीन के मकान से जरीना के मकान तक इंटरलाकिंग टाईल्स एवं नाली निर्माण कार्य।	38.40	19.20
14	तदैव	तदैव	मो० नई आबादी (पार्ट-14) में रेहान टेलर से ताहीर के मकान तक, पप्पू के मकान से रिजवान के मकान तक, इमरान के मकान से मस्जिद तक एवं हारून वाली गली में इंटरलाकिंग टाईल्स एवं नाली निर्माण कार्य।	39.89	19.945
15	तदैव	तदैव	मो० नई आबादी (पार्ट-15) में इरफान के मकान से नोरुद्दीन के मकान तक, यामीन के मकान से अनवर के मकान तक एवं पुरकान के मकान से जमील के मकान तक इंटरलाकिंग टाईल्स एवं नाली निर्माण कार्य।	39.90	19.95
16	तदैव	तदैव	मो० नई आबादी (पार्ट-16) में मेन रोड से नूरे के मकान तक एवं नूरे के मकान से नवी मस्जिद तक इंटरलाकिंग टाईल्स एवं नाली निर्माण कार्य।	38.51	19.255
17	तदैव	तदैव	मो० नई आबादी (पार्ट-17) में मेन रोड से बबलू मेयाती के मकान तक एवं रिजवान के मकान से हाजी कालवा के मकान तक इंटरलाकिंग टाईल्स एवं नाली निर्माण कार्य।	38.73	19.365
18	तदैव	तदैव	वार्ड नं०-18 मो० नई आबादी (पार्ट-1) में बाबू के मकान से लिजाम के मकान तक, हाजी सलीम के मकान से मुछितयार के मकान तक, मुंशी के मकान से जाहिद के मकान तक एवं अनवर के मकान से यामीन के मकान तक इंटरलाकिंग टाईल्स एवं नाली निर्माण कार्य।	33.17	16.585
19	तदैव	तदैव	वार्ड नं०-18 मो० नई आबादी (पार्ट-2) में हाजी सरवर के मकान से शौकत के मकान तक, अब्दुल के मकान से फारूख के मकान तक, सलेम के मकान से नवाब मेयाती के मकान तक एवं आस मो० के मकान से जौहर खान के मकान तक इंटरलाकिंग टाईल्स एवं नाली निर्माण कार्य।	36.99	18.495
20	तदैव	तदैव	वार्ड नं०-18 मो० नई आबादी (पार्ट-3) में विट्टू के मकान से हकीकत के मकान तक एवं	33.81	16.905

			इबराम के मकान से सुबरी के मकान तक इंटरलाकिंग टाईल्स एवं नाली निर्माण कार्य।		
21	तदैव	तदैव	वार्ड नं0-18 मो0 नई आबादी (पार्ट-4) में असलम मेडिकल स्टोर से नसरुद्दीन के मकान तक, राजू सैफी के मकान से सिराज के मकान तक, फकीरा की दुकान से इस्लाम के मकान तक इंटरलाकिंग टाईल्स एवं नाली निर्माण कार्य।	33.16	16.58
22	तदैव	तदैव	वार्ड नं0-18 मो0 नई आबादी (पार्ट-5) में जयामुद्दीन पप्पल एवं इस्लाम के मकान होते हुये फजले के मकान तक इंटरलाकिंग टाईल्स एवं नाली निर्माण कार्य।	39.53	19.765
योग				815.10	407.55

(रूपये चार करोड़ सात लाख पचपन हजार मात्र)



(अखिलानन्द ब्रह्मचारी)
अनु सचिव।